

कार्यालय: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत
आदेश संख्या: 940/एम0ए0सी0टी0/2026 दिनांक: 17.08.2026
चयन समिति कार्यवृत्त/विज्ञप्ति

संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एम0ए0सी0टी0 73/30-03-2020 दिनांक 25-02-2020 के एवं माननीय उच्च न्यायालय, उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश संख्या 11274/2024/एडमिन-जी

-1/इलाहाबाद दिनांक 20-08-2024 के क्रम में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत में वर्ष 2025-26 में रिक्त व रिक्त होने वाले पदों के क्रम में कर्मचारी नियुक्ति किये जाने हेतु दिनांक 28-07-2026 को चयन समिति का गठन किया गया:-

1-पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत।

अध्यक्ष

2-वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत।

सदस्य

3-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागपत

सदस्य

4-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, बागपत सदस्य सचिव/संयोजक

इस अधिकरण में संविदा के आधार पर पूर्व में कार्यरत सहायक लेखाकार श्री आनन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 13-04-2026 को अधिकरण द्वारा स्वीकृत होने के कारण उपरोक्त सहायक लेखाकार का पद इस अधिकरण में तदसमय से रिक्त है। उक्त पद पर विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत न्यायालय/शासन से सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-01/953971/30-03-2025 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 06-05-2025 व तदानुरूप परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 446(जी) ई/2025-173ई/2021 दिनांक 28-05-2025 के दिशा-निर्देशानुसार कम्प्यूटर सहायक 01 पद, कम्प्यूटर प्रोग्रामर 01 पद, कुल 02 पद पर नियुक्ति नियमानुसार मैन पावर आउट सोर्स की जानी है।

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1733/30-03-2025 परिवहन अनुभाग-03 लखनऊ दिनांक 12 अगस्त 2025 जो परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित है, के द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में रखे जाने वाले कम्प्यूटर सहायक तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामर का नियत मानदेय प्रतिमाह रू0 20,000/-रुपये निर्धारित किया गया है।

उक्त विषय सन्दर्भ में चयन समिति की बैठक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत के पीठासीन अधिकारी के विश्राम कक्ष में दिनांक 05-08-2026 को समय 4.30 बजे आहूत की गयी जिसमें चयन समिति द्वारा उक्त दोनों नियुक्ति प्रकरण-1-सहायक लेखाकार, 2-कम्प्यूटर सहायक व कम्प्यूटर प्रोग्रामर पर विचार विमर्श कर अपना सर्वसम्मत अभिमत व्यक्त किया गया जो उक्त नियुक्तियों के सम्बंध में क्रमबद्ध निम्न है:-

क- सहायक लेखाकार

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बागपत में सहायक लेखाकार के पद के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्णकालिक स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने तक के लिये उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 676/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09.03.2019, शासनादेश संख्या 1324/तीस-3-2019 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26.07.2019 एवं व उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या एम0ए0सी0 टी0-73/30-3-2020 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 25.02.2020 के आलोक में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बागपत में विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहायक लेखाकार की पुनर्नियुक्ति की जानी है जिस हेतु न्यायालय/शासन से सेवा निवृत्त कर्मियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद का विवरण निम्नवत् है:-

पद का नाम	पद की संख्या	नियोजन की प्रकृति
-----------	--------------	-------------------

सहायक लेखाकार	01पद	सेवा निवृत्त कर्मचारियों से संविदा के आधार पर।
---------------	------	--

इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र दिनांक 24.08.2026 तक कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं अथवा स्वयं कार्यालय के कनिष्ठ सहायक/ प्रस्तुतकार श्री मिलेन्द्र कुमार सरस को प्राप्त करा सकते हैं। दिनांक 24.08.2026 को सायंकाल 5.00 बजे के पश्चात् कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियुक्ति के सम्बन्ध में अनिवार्य शर्तें व विवरण निम्नवत् है:-

W R

गोपनीय प्रविष्टि का विवरण :
(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

12-क्या आपको अपने पूर्ण सेवाकाल में कभी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, लघु व दीर्घ दण्डात्मक कार्यवाही से दण्डित किया गया है, यदि हां तो विवरण:-
(नोटरी शपथ-पत्र संलग्न करें)

13-आधार नम्बर (स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें).....

14-पैन नम्बर (स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

:: घोषणा पत्र ::

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में पूर्ण रूप से स्वस्थ और दिये जाने वाले राजकीय कार्य को करने में सक्षम हूँ। मैंने आवेदन सम्बन्धी सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अवलोकन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार है। आवेदन में अंकित समस्त विवरण तथा संलग्नक सही एवं सत्य हैं तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाती है, तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा और इस सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध की गयी कोई कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी। नियुक्ति की अवस्था में मैं कार्य करने हेतु उपस्थित होऊंगा।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कनिष्ठ सहायक/प्रस्तुतकार को निर्देशित किया जाता है कि वे इस विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें तथा विज्ञप्ति को जिला न्यायालय बागपत एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बागपत के सूचना पट पर प्रदर्शित/चस्पा किया जाये तथा एक प्रति जिला सूचना अधिकारी जनपद बागपत को प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

ख- कम्प्यूटर सहायक व कम्प्यूटर प्रोग्रामर की नियुक्ति के सम्बंध में:-

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या -1/953971/30-3-2025 परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 06-05-2025 व तदानुरूप परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 446(जी) ई/2025-173ई/2021 दिनांक 28-05-2025 के दिशा-निर्देशानुसार कम्प्यूटर सहायक 01 पद, कम्प्यूटर प्रोग्रामर 01 पद, कुल 02 पद पर नियुक्ति नियमानुसार मैन पावर आउट सोर्स की जानी है।

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1733/30-03-2025 परिवहन अनुभाग-03 लखनऊ दिनांक 12 अगस्त 2025 जो परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित है, के द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में रखे जाने वाले कम्प्यूटर सहायक तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामर का नियत मानदेय प्रतिमाह रु0 20,000/-रूपये निर्धारित किया गया है।

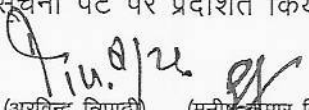
परिवहन विभाग उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्रों में पद संख्या व वेतन/मानदेय के अतिरिक्त कम्प्यूटर सहायक तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामर की उम्र, शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के सम्बंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये हैं। उपरोक्त स्थिति में समिति के मत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर इसी से सम्बंधित पदों (कम्प्यूटर सहायक व कम्प्यूटर प्रोग्रामर) को भरे जाने हेतु जारी विज्ञप्तियों में आयु निर्धारण को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर सहायक व कम्प्यूटर प्रोग्रामर की उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य रखा जाना उचित है।

कम्प्यूटर सहायक व कम्प्यूटर प्रोग्रामर की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के सम्बंध में विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कम्प्यूटर सहायक पद पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या-01/सी0ए0/2021 दिनांक 17 अगस्त 2021 में कम्प्यूटर सहायक की शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं उसके समकक्ष एवं कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा/डिग्री अथवा ओ लेबिल सर्टिफिकेट जो डी.ओ.ई.ए.सी.सी./एन0आई0ई0एल0आई0टी0 सोसाइटी द्वारा जारी किया गया हो अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से सीसीसी सर्टिफिकेट एवं न्यूनतम

किया गया है।

समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अधिकरण में कार्यरत कनिष्ठ सहायक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), बागपत /सदस्य सचिव/वायर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत के सम्पर्क से उक्त पदो- कम्प्यूटर सहायक व कम्प्यूटर प्रोग्रामर हेतु जैम पोर्टल पर विड की कार्यवाही अविलम्ब नियमानुसार अग्रसारित करें व कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिनांक 29-08-2026 तक चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

इस विज्ञप्ति को सूचनार्थ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेब साइट पर अपलोड व जिला न्यायालय, बागपत एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बागपत के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाये।

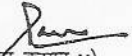


(अरविन्द त्रिपाठी)
सदस्य
सी0वी0ओ0,
बागपत

(मनीष कुमार सिंह)
सदस्य
वरिष्ठ कोषाधिकारी
बागपत



(विक्रम कुमार)
सदस्य सचिव/संयोजक
ए.आर.टी.ओ (प्र0)
बागपत



(प्रदीप कुमार v)
अध्यक्ष /पीठासीन अधिकारी,
एम0ए0सी0टी0,
बागपत